

उत्तरांचल सरकार
वित्त अनुभाग—5

संख्या— /XXVII(5)/ स्टाम्प / (02 / स्टाम्प / 04) / 2004
देहरादून: दिनांक 7 जून, 2003

अधिसूचना

उत्तरांचल मे उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय—समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या—2 सन् 1899) की धारा—9 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुये, श्री राज्यपाल कूर्माचल सांस्कृतिक एवं कल्याण परिष्क को नगर निगम, द्वारा कांवली, देहरादून में सांस्कृतिक भवन बनाने के लिए प्रदान की गयी 1505 वर्ग मीटर भूमि, (मौजा कांवली, खसरा संख्या—1065) पर उत्तरांचल राज्य सरकार द्वारा प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की छूट इस सीमा तक प्रदान करने की सहर्ष स्वकृति प्रदान करते है।

आज्ञा से,

(राधा रत्नाली)
सचिव, वित्त।

सं0— /XXVII(5)/ स्टाम्प / (02 / स्टाम्प / 04) / 2004 तददिनांक
प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति उप—निदेशक लिथो प्रेस, रुडकी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इसे प्रकाशित कर 50 प्रतियां शासन के वित्त अनुभाग—5 का उपलब्ध करा दें।

आज्ञा से,

(एल०एम० पन्त)
सचिव वित्त।